



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 29.10.2025

❖ थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के अपराध में नामजद वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त हथौड़ी के साथ किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 28.10.2025 को वादी श्री जगदीश नारायण पुत्र स्व० चिरंजीव लाल नि० ग्राम अंगदपुर थाना बरौर कानपुर देहात द्वारा थाना बरौर पर दी गई तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 58/2025 धारा 140(1)/103(1)/238 बी०एन०एस० 2023 पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर धारा 61(2) बी०एन०एस० 2023 की बढोत्तरी करते हुए नामजद वांछित अभियुक्त मंयक उर्फ ईशू पुत्र सर्वेश कुमार उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बरौर कानपुर देहात को मुखबिर की सूचना पर से दिनांक 28.10.25 को समय करीब 18.10 बजे रायरामापुर गेट बहद ग्राम रायरामापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मंयक उर्फ ईशू उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 हथौड़ा बरामद हुआ। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1- मंयक उर्फ ईशू पुत्र सर्वेश कुमार उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त मंयक उपरोक्त ने बताया कि मृतक प्रदीप के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मां के साथ मेरा प्रेम सम्बन्ध हो गया था, इस बात की जानकारी प्रदीप को हो गयी थी, तभी से वह मां के साथ नहीं रहता था, इसलिये प्रदीप की मां से मिलकर मैंने व मेरे भाई ऋषि ने प्रदीप उर्फ सुक्खा के नाम से कई बीमा पालिसी कराई थी, बीमा पॉलिसी का क्लेम लेने के लिये हम तीनों ने मिलकर प्रदीप उर्फ सुक्खा की हत्या करने की योजना बनाई थी, प्रदीप उर्फ सुक्खा आन्ध्र प्रदेश में रहता है दीपावली त्यौहार पर घर आया था लेकिन 27.10.2025 की शाम को वह वापस जाने वाला था, इसलिये मैंने व मेरे भाई ऋषि ने दिनांक 26.10.2025 को शाम 07 बजे प्रदीप को खाना खिलाने के बहाने अपनी वैगन आर कार से ले जाकर योजना के अनुसार अपनी कार में ही हथोड़ी से सिर में कई बार वार कर उसे मारकर हाइवे पर फेंक दिया था। जिससे प्रदीप की मृत्यु एक्सीडेंट लगे और बीमा क्लेम में कोई दिक्कत न हो तथा बीमा का पैसा हमें मिल जाये। आज हमारे विरुद्ध मुकदमा लिख जाने की जानकारी होने पर पकड़े जाने के डर से मैं बाहर जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त हथोड़ी के बारे में पूछताछ की गयी तो बताया कि मैंने घटना के बाद हथोड़ी को हाइवे से अंगदपुर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाली चर्च से थोड़ा आगे गांव की तरफ झाँडियो में फेंक दी थी।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 हथौड़ी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना बरौर पुलिस